न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 29/2023 बउनवानी बी.एस.शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर 32ए, राजबिहार कॉलोनी, राजकीय कन्या महाविद्यालय के पास स0मा0

GCMS No-2023/64

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.8.2023	पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 5.4.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. यह कि जनजाति महिला विकास संस्थान स0मा0 को राज0 सरकार द्वारा विद्यालय हेतु जो भूमि आवंटन की गयी है श्रीमान जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक प.2/31/राज/ग्रुप–3/95 दिनांक 6.5.1995 द्वारा आवंटित में कितनी भूमि सरकार द्वारा आवंटित की गयी हे तथा भूमि का कितना लीज रेन्ट मय कितना वसूल किया गया है मय लीज रेन्ट की रसीद प्रमाणित प्रति से उपलब्ध करावे। 2. यह कि राज्य सरकार द्वारा जनजाति महिला विकास संस्थान ग्राम मैनपुरा में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के संशोधित आदेश क्रमांक 1137 दिनांक 18.5.1995 को भी 8 बीघा भूमि आवंटन की गयी है जिला कलेक्टर स0मा0 के आदेशो द्वारा आंवटित की गयी भूमि का कितना लीज रेन्ट संस्था से प्राप्त किया गया है लीज रेन्ट की मय रसीद की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करावे। 3. यह है कि जिला कलेक्टर स0मा0 के आदेश क्रमांक 1978–85 दिनांक 2.3.2002 को 2.02 है0भूमि ख0न0 2436/282 व 2438/282 में किस दिनांक मे ज.जा.म.वि.सं. मैनपुरा के नाम भूमि आवंटन की गयी लीज रेन्ट रसीद को एवं आदेश क्रमांक 1978–85 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावें। 4. यह है कि जनजाति महिला विकास संस्थान स0मा0 द्वारा संचालित ग्रामीण महिला विद्यापीठ मैनपुरा को शिक्षण संस्थान हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी भूमि आवंटित की गयी है ख0न0 एवं किस्म सहित प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। जनजाति महिला विकास संस्थान सवाईमाधोपुर सचिव द्वारा जारी पत्र क्रमांक 282 दिनांक 24.12.2004 के द्वारा कितनी भूमि आवंटित की गयी है भूमि की किस्म एवं लीज रसीद की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। 5. यह है कि दिनांक 7.4.2006 मे ख0न0 598 पूर्व सेंटलमेंट के बाद 282 रकबा 57.17 बीघा गै0मु0 छापर मे से कुल 10 ऐकड भूमि के आदेश क्रमांक 12(1)स्कूल/राजस्व/95/ 2390–98 दिनांक 7.9.1995 एवं एफ. 12(124)स्कूल/राजस्व/98/1978–85 दिनांक 2.3.2002 की भूमि का पटटा सरपंच/सचिव मैनपुरा स0मा0 द्वारा या श्रीमान तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा किसके नाम से पटटा जारी किया गया है प्रमाणित प्रति से अवगत करावे पटटे नक्शा ट्रेस लीज भूमि को बिन्दु संख्या 2 के 2.1 एवं 2.2 मे पटटेदार लीजरेन्ट/प्रीमियम जमा कराने के लिए बाध्य होगा। कितनी राशि जमा की गयी है प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी जावे। उपरोक्त सभी भूमि से राज्य सरकार को राजस्व से कितना लाभांवित किया गया है राशि से अवगत करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2023.12.19 16:41:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 5.4.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 की सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः चाही गयी सूचना उपलब्ध करवायी जावे। पैरोकार राजस्व द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई /23/224 दिनांक 24.8.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि बिन्दु संख्या 1 लगायत 4 मे चाही गयी सूचना (लीज रेन्ट जमा होने से संबंधित रिकार्ड) तहसील कार्यालय रिकार्ड मे उपलब्ध नही होने के कारण उपलब्ध नही करवायी गयी है। परन्तु बिन्दु संख्या 4, 5 की आंशिक सूचना (कुल पांच पृष्ठो की) तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक 202 दिनांक 17.8.2023 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का लोक सूचना अधिकारी को व्यक्तिगत ध्यान देकर प्राथमिकता से अधिनियम की तय समय सीमा मे निस्तारण किया जाना आवश्यक है एवं कार्यालय मे संधारित सूचना दिये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी के जवाब के साथ संलग्न अभिलेख का अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया है कि संबंधित कार्मिक द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 5.4.2023 पर कार्यवाही हेतु तहसीलदार के समक्ष बार बार प्रस्तुत किया गया(यथा 10.4.2023, 13.4.2023,13.6.2023,22. 6.2023,11.7.2023, 20.7.2023, 31.7.2023 लगभग 7 बार) परन्तु तहसीलदार द्वारा लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन समय पर नही कर दिनांक 31.7.2023 को भू0अ0 शाखा/ टीआरए शाखा को सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये है।

इसके पश्चात उक्त उनवानी अपील का नोटिस तहसील मे प्राप्त होने पर संबंधित कार्मिक द्वारा दिनांक 16.8.2023 को पेश किया जाने पर तहसीलदार स0मा0 द्वारा टीआरए/ऑफिस कानूनगों से सूचना लेकर आज ही भिजवाने के आदेश दिये गये किन्तु आदेशिका के पैरा एंन–6 के अनुसार ऑफिस कानूनगों द्वारा पत्रावली लेने से मौखिक मना करना अंकित किया है। पैरा एन/7 पर तहसीलदार द्वारा ऑफिस कानूनगो को नोटिस जारी करने बाबत लिखा है किन्तु अपने हस्ताक्षर कार्यालय टिप्पणी पर नही किये गये है। इस प्रकार उक्त उनवानी अपील मे समय पर जवाब प्रस्तुत नही किया है जो खेदजनक है।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 5.4.2023 मे चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की सूचना की श्रेणी मे आती है यद्यपि तहसीलदार द्वारा उक्त संस्था की भूमि से संबंधित कुछ रिकार्ड अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जा चुका है। उक्तानुसार चाही जा रही सूचना तृतीय पक्ष की है तथा उक्त सूचना में विस्तृत लोकहित प्रकट नही होता है इसलिए उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

आवेदन पत्र पर समय सीमा मे कार्यवाही नही करने एवं उक्त अपील मे समय पर जवाब प्रस्तुत नही करना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावाधानो के उल्लंघन की श्रेणी मे आता है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार ऑफिस कानूनगों एवं तत्कालीन तहसीलदार सवाईमाधोपुर की लापरवाही प्रतीत होती है। अतः प्रभारी अधिकारी संस्थापन/ भू0अभिलेख अनुभाग कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर [illegible] किया जाता है कि संबंधित जिम्मेदार कार्मिक ऑफिस कानूनगों एवं तत्का[illegible] तहसीलदार सवाईमाधोपुर के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से का[illegible] एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:41:32 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner